क्रम संख्या–12 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 20 जनवरी, 2020 ई0

पौष 30, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 33/XXXVI (3)/2020/421/36(2)/2006

देहरादून, 20 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2019'** पर दिनांक 16 जनवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 07 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2020)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1971) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम,1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (भ) की प्रविष्टि (75) के पश्चात् एक नयी प्रविष्टि (76) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:

"(76) गैरसैंण विकास परिषद्"।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

उददेश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 यथावत लागू है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि इस अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (झ) में प्रविष्टि (75) के पश्चात् एक नयी प्रविष्टि (76) गैरसैंण विकास परिषद् के रूप में अंतःस्थापित कर दी जाय।

2– प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उददेश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री।